न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0– 63 सन् 2019

रवीन्द्र सिंह व अन्य.....वादीगण

बनाम

मुकेश कुमार सिंह व अन्य.....प्रतिवादीगण

दिनांकः–

10.02.2020

आज अभिलेख वादी की ओर से अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 15.03.2019 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी की ओर से दिनांक 15.03.2019 को दाखिल आवेदन में कथन है कि इस वाद की तकरारी एराजी मद नं0– 1 अर्जीनालिश की भूमि की स्वरूप व यथास्थिति न्यायहित में अभिलेख पर आना आवश्यक है अतः निवेदन है कि मद नं0– 1 की तकरारी एराजी का स्थानीय निरीक्षण हेतु किसी अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति की जाए और उनसे आवेदन में लिखित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन की मांग की जाए।

प्रतिवादी की ओर से दिनांक 09.01.2020 को

उपर्युक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल कर कथन है कि वादी ने वादग्रस्त भूमि की स्थानीय निरीक्षण करने हेतु अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति हेतु जो आवेदन दिया है वह खारिज किए जाने योग्य है। आवेदन प्रतिवादी का तंग और परेशान करने की आशय से दाखिल किया गया है। आवेदन में लिखित बिन्दु सं0 1 से 4 के लिए अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति किया जाना गलत है। वादी का तकरारी जमीन के संबंध में कभी भी हकियत प्राप्त नहीं हुआ और ना कब्जा हुआ और ना ही प्रतिवादी के द्वारा तकरारी जमीन पर निर्माण करने हेतु कोई भी निर्माण संबंधित सामान इकट्ठा किया गया है। तकरारी जमीन पर कई वर्षों से चाहारदिवारी कायम चला आ रहा है। वादी साक्ष्य एकत्रित करने हेतु उपर्युक्त आवेदन दाखिल किया है आवेदन को स्वीकार करने पर प्रतिवादी को अपूर्णिय क्षति होगी अतः निवेदन है कि वादी के उपर्युक्त आवेदन को खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वादी ने यह वादी दाखिल कर विवादित जमीन मद नं0– 1 वादपत्र में वर्णित भूमि पर हकियत की घोषणा हेतु दाखिल किया है। वादी ने उपर्युक्त आवेदन के साथ–साथ इंतनाई का आवेदन आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सिविल प्रकिया संहिता

के अंतर्गत भी दाखिल किया है जिसमें वादी का कथन है कि प्रतिवादी वाद की तकरारी एराजी के स्वरूप को प्रवर्तित करने तथा उसे नाजायज ढंग से दखल करने की खुली घोषणा की है और इस हेतु प्रतिवादी तैयारी भी कर रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में तकरारी एराजी की वर्तमान स्थिति क्या है? अभिलेख पर आना आवश्यक प्रतीत होता है अतः वादी की ओर से दाखिल तकरारी जमीन की वर्तमान स्थिति के स्थानीय निरीक्षण हेतु अधिवक्ता आयुक्त को नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है अतः वादी को निर्देश दिया जाता है कि वे अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति हेतु अधिवक्ता आयुक्त शुल्क 1500/– रूपये नजारत में जमा करें।

वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक– 17.02.2020

सब जज
सोनपुर सारण।